


को दुरुस्त करवाने का अधिकार है। प्रार्थीया के शपथ-पत्र, और प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।


--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होने, सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- देवरिया, पटवार हल्का- देवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- आगेवा तहसील-जैतारण, जिला- ब्यावर के खसरा नम्बर 165 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल के भू-अभिलेख में त्रुटिपूर्ण दर्ज नाम "पपलीदेवी पत्नी शेषाराम" को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम "पप्पिया पत्नी शेषाराम" दर्ज करते हुये तहसीलदार, जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी निमित्त निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 04/03/2025 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं सदेन
भू अभिलेख अधिकारी (ब्यावर) जैतारण
(जिला-ब्यावर)


उपखण्ड अधिकारी एवं सदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)